न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

एल0आर0 अपील संख्या :-116/2022/अजमेर

परमार छितुबाई जरिये मुख्तियारआम शिवप्रताप हरसाना बनाम रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य

विषयः-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश22 नियम 3, 10ए व 151 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र बाबत अपीलांट वकालतनामा विड्रो करने हेतु

उपस्थित अभिभाषकः- श्री शिवप्रकाश चौधरी(वकील अपीलांट)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः- श्री धर्मेन्द्र टांक वास्ते रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त न्यायालय अजमेर

आदेश दिनांकः-15.06.2023

राजस्व मण्डल अजमेर के मुतकिली प्रार्थना पत्र/टीए/4866/2022 सत्यनारायण बनाम राजेन्द्र सिंह शेखावत एवं अन्य में एकलपीठ के निर्णय दिनांक 02.09.2022 के निर्देश पर उक्त पत्रावली 238/2021 परमार छितुबाई बनाम रामेश्वरप्रसाद आरएए न्यायालय अजमेर से ट्रांसफर होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई है। उक्त पत्रावली के साथ दो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। इसमें प्रथम प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3, 10ए व धारा 151सीपीसी जो रेस्पोडेंट एडवोकेट्स द्वारा दिनांक 06.04.2022 को प्रस्तुत किया गया है तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलांट अभिभाषक द्वारा इस आशय का दिनांक 20.05.2022 का पेश किया है कि अपीलांट के मुख्तियारआम को कई बार सूचित करने के बाद भी उसके द्वारा सम्पर्क नहीं करने से अपीलांट का वकालतनामा विड्रो करने बाबत प्रस्तावित किया।

प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3, 10ए व धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट की ओर से उसके मुख्तियारआम शिवप्रसाद हरसाना द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। मुख्तियारआम ने अपने आप को अपीलांट के निर्देशानुसार अपील प्रस्तुत करना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय में भी अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। वहां भी मुख्तियारआम के द्वारा के द्वारा पैरवी नहीं की गई। रेस्पोडेंट ने यह बताया कि अपीलांट की मृत्यु 2015 के लगभग हो चुकी है और अपीलांट के मुख्तियारआम ने न्यायालय व रेस्पोडेंट के साथ छल करके अपील पेश की है। अतः अपीलांट को निर्देश दिलाये जायें कि अपीलांट को प्रस्तुत करें। अन्यथा मुख्तियारआम के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही अमल में लायी जायें। अंत में निवेदन किया कि अपीलांट की अपील इस सुरत में चलने योग्य नहीं है। अपील प्रस्तुती से पूर्व ही अपीलांट का देहांत हो गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ उनके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 15.12.2022 को उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट श्री शिवप्रकाश चौधरी उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट 1 से 4 की ओर से धर्मेन्द्र टांक उपस्थित हुए। श्री शंकरलाल चौधरी उपस्थित हुए। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु रिजर्व रखी गई।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट के फौत होने का कोई दस्तावेजी सबूत (मृत्यु प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किया है। ना ही मृत्यु दिनांक उनके द्वारा बताई गई है। अपीलांट के वारिस बाबत [illegible] सूचना उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में प्रार्थना पत्र [illegible] का कोई औचित्य नही है। उनके द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रकरण में दिनांक 20.05.2022 को अपना वकालतनामा विड्रो करने हेतु निवेदन किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:27:22 IST
Reason: SelfAttested

15.6.2023
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
अजमेर.

Scanned with CamScanner

वकील अपीलांट की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। ऐसी स्थिति में पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:27:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner